कार्यालय एकीकृत वाल विकास परियोजना लहार जिला भिण्ड म.प्र.

ऑगनवाडी कार्यकर्ता / सहायिका / मिनी केन्दों पर प्राप्त शिकायतों का विवरण 22 / 04 / 2010

क्र0	आं.बा.केन्द्र / ग्राम का नाम	शिकायतकर्ता का नाम	किस पद के विरुद्ध शिकायत की गयी है	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	जिला स्तरीय समिति का निराकरण
1	2	3	4	5	
1	लहार वार्ड–14	गुडडीदेवी	सहायिका	बी. पी. एल. में नाम होने से बी. पी. एल. के अंक जोडने वावत् ।	शिकायतकर्ता शिकायत श्रीमती गुडडीदेवी पत्नि सोनू कुशवाह उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड 14 गंदा नाले के पास लहार के शिकायती प्रकरण की जॉच की गयी । संक्षिप्त स्वरुप इस प्रकार है कि मेरी नियुक्ति सही थी परन्तु मेरे वजाय अपात्र नियुक्ति की गयी । समक्ष में प्रस्तुत आवेदन के अनुसार पात्र की गयी उम्मीदवार श्रीमती पुष्पा दौहरे पत्नि भूपेन्द्रनाथ दौहरे की छाया प्रति अभिलेखों का परीक्षण किया गया परीक्षण में पाया गया कि पुष्पा दौहरे के तहसीलदार लहार द्वारा जारी मूलनिवासी प्रमाण पत्र में लहार के वार्ड 14 का निवासी बताया गया है परन्तु जाति प्रमाण पत्र जो एस.डी.एम. लहार द्वारा दिया गया उसमें पुष्पा दौहरे को वगियापुरा का निवासी बताया गया है ऐसी स्थिति में दोंनो ही अभिलेखों में भिन्नता दर्शित होती है । श्रीमती पुष्पा दौहरे पत्नि भूपेन्द्र दौहरे के सत्यापित राशनकार्ड की छाया प्रति में उन्हें नगर लहार के वार्ड 14 का निवासी बताया गया है । विधानसभा रौन के ग्राम वगियापुरा की मतदाता सूची का भी अवलोकन किया गया उसमें क्र. 49 पर पुष्पा पत्नि भूपेन्द्रना
					थ 32 वर्ष लिंग महिला अंकित है । यह सूची निर्वाचक नामावली वर्ष 2008 की थी जिसमें पूर्णतः तथ्यांकित थे नगर लहार की प्रकरण में सलंग्न निर्वाचन नामावली जो सत्यापित नहीं थी, उसका भी अवलोकन किया गया । इसमें नई बस्ती तहसील लहार जिला भिण्ड सन 2007 अंकित था 1308 पर पुष्पादेवी पत्नि भारतसिंह गृह संख्या 194 उम्र 25 वर्ष लिंग महिला अंकित पाया गया । शिकायतकर्ता श्रीमती गुडडी देवी पत्नि सोनू कुशवाह द्वारा प्रस्तुत की गयी वर्ष 2009 की वार्ड 14 लहार की मतदाता सूची भाग–2 का अवलोकन किया गया सरल क्रमांक 629 पर मकान संख्या 194 पुष्पादेवी पत्नि भारतसिंह महिला उम्र 27 वर्ष अंकित पाया गया आवेदिका श्रीमती गुडडीदेवी पत्नि सोनू कुशवाह के लिये भी उक्त सूची का अवलोकन किया गया सरल क्रमांक 129 पर गुडडी पत्नि सोनू महिला उम्र 30 वर्ष अंकित पाया गया । बी.पी.एल. सूची के क्र. 18 पर सोनू कुशवाह पुत्र बाबूलाल काछी वार्ड 14 का नाम अंकित है जो 1121 / 06–07 / अपील माल के अंतर्गत एस.डी.एम. लहार द्वारा बी. पी.एल. सूची में सम्मिलित किया गया है । प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान पर अंकित उमादेवी पत्नि शिवसिंह वार्ड –14 जनकपुरा लहार जिला भिण्ड म.प्र. को रखा गया है इनके आवेदन में भी यही तथ्य अंकित हैं । उमादेवी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति जो बी.एम.ओ. लहार द्वारा सत्यापित था

					यह प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी है जबकि जाति प्रमाण पत्र अनु.सू.जा. / ओ.वी.सी. एवं अनु.ज.जा. के लिये सन 2000–01 से सक्षम अधिकारी तहसीलदार न होकर एस.डी.एम. हुआ करते हैं । स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र तहसीलदार लहार द्वारा जारी है जिसमें उन्हें ग्राम लहार का निवासी बताया गया है, इनके द्वारा प्रस्तुत भारत निर्वाचन आयोग के प्रमाण पत्र की छायाप्रति का अवलोकन किया गया जो उनके द्वारा स्वयं प्रमाणित है जिसमें उनका जन्मदिनांक 20.10.87 अंकित है पता 53 जनकपुरा नई बस्ती तहसील लहार जिला भिण्ड अंकित है । कार्ड का क्र0 एमसीएक्स/17/76806 है । जनकपुरा नई बस्ती लहार की निर्वाचक नामावली के क्र0 1136 पर उमा देवी पत्नि शिवसिंह गृह संख्या 53 आयु 21 वर्ष अंकित है संबंधित के राशन कार्ड में भी वार्ड क्र0 14 जनकपुरा लहार जिला भिण्ड अंकित है । इस राशनकांर्ड की छायाप्रति उमादेवी द्वारा स्व प्रमाणित है । निर्णयः– प्रकरण के परीक्षण में निम्न तथ्य स्पष्ट हुये – श्रीमती पुष्पादेवी दौहरे पत्नि भूपेन्द्रनाथ दौहरे नगरीय क्षेत्र लहार के वार्ड 14 की निवासी नहीं है क्योंकि उसका नाम लहार नगर पंचायत की मतदाता सूची में न होकर वगिया पुरा की वर्ष 2009 की सूची निर्वाचक नामावली में अंकित है । शिकायतकर्ता का नाम वार्ड 14 लहार की वर्ष 2009 की मतदाता सूची में 629 नं. पर अंकित है ।
					बी.पी.एल. सूची के क्र0 18 पर एस.डी.एम. लहार द्वारा श्री सोनू कुशवाह पुत्र बाबूलाल काछी का नाम अपीलमाल से जोडा गया है । प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान पर अंकित उमादेवी पत्नि शिवसिंह का जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी है जबकि 2001 से तहसीलदार को यह प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार नहीं है । अतः यह प्रकरण मान्य है नियुक्ति आपत्तिकर्ता की आपत्ति स्वीकार है । उसे नियुक्त किया जाना उचित होगा । पुनश्च तहसीलदार द्वारा जारी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की अपील नहीं है । अतः मूल निवास प्रमाण पत्र को चुनौती नहीं दी जा सकती है । नियुक्ति बैध मानी जा सकती है ।
2	लहार वार्ड–05	सुनीता श्रीवास्तव	कार्यकर्ता	ऑगनवाडी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति में आवेदिका को विकलांग होने के संबंध में प्राथमिकता देने वावत ।	आवेदिका द्वारा दिनांक 20.4.10 को कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन किया मुख्य तथ्य यह है कि आवेदिका के स्थान पर पिंकी गुप्ता / अशोक गुप्ता का किया गया चयन अवैध है । ऐसा आवेदन में उल्लेखित है । आवेदिका का यह कहना कि वह विकलांग है इसीलिये उसे चयन में वरीयता दी जानी चाहिये थी एवं जिसका चयन किया गया है वह अविवाहित होकर 22 वर्ष की है तर्क से परे है क्योंकि कार्यकर्ता के लिये अर्हता के लिये विकलांग होना प्राथमिकता का आधार नहीं है तथा अविवाहित होने से उसी का चयन न हो ऐसा भी नहीं है परन्तु म.प्र. शासन महिला एवं वाल विकास विभाग के ज्ञाप क्र. एफ3–2/06/50–2 दिनांक 10.7.07 के खण्ड अ–2 (अ) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बिन्दु क्र. 2 में यह तथ्य अंकित हैं कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले

3	अमाहा	हेमलता दौहरे	कार्यकर्ता	श्रीमती हेमलता दौहरे के मूल निवासी प्रमाण पत्र की जॉच वावत ।	श्रीमती हेमलता दौहरे के मूल निवासी प्रमाण पत्र की जॉच की गयी जो प्र.क्र. 379/2000/01/8121 के अंतर्गत तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा 30.7.01 को जारी किया गया है प्रमाण पत्र की बैधता के संबंध में कोई संदेह प्रतीत नहीं होता । अतः चयन की बैधता स्वतः सिद्ध है ।
4	वागपुरा	पुष्पादेवी	उपकार्यकर्ता	श्रीमती संध्या मिश्रा पत्नि जयप्रकाश मिश्रा का चयन किया गया है जबकि नियमानुसार स्थानीय निवासी को उप कार्यकर्ता के रुप में किया जाना चाहिये था । पूर्व में की गयी नियुक्ति नियमानुसार न होने से निरस्त योग्य है ।	ग्राम बागपुरा पद मिनी केन्द्र पुष्पादेवी नि. अमाहा द्वारा आवेदन में लेख किया है कि मिनी केन्द्र बागपुरा में स्थानीय निवासी स्वयं का चयन न किया जाकर विजपुर की श्रीमती संध्या मिश्रा पत्नि जयप्रकाश मिश्रा का चयन किया गया है जबकि नियमानुसार स्थानीय निवासी को उप कार्यकर्ता के रुप में किया जाना चाहिये था । पूर्व में की गयी नियुक्ति नियमानुसार न होने से निरस्त योग्य है । श्रीमती संतोषी /लक्ष्मीनारायण निवासी वागपुरा के प्रथम स्थान प्रतीक्षा सूची में दिया गया है जबकि उनकी सभी अंक सूचियॉ जो अभिलेख के साथ संलग्न हैं सभी छायाप्रतियॉ है एवं उत्तर प्रदेश की है इनके मतदाता सूची में नाम वागपुरा मजरा विजपुर में एवं इनके परिवार के एवं पति के नाम सन 2008 की नगर पंचायत दबोह की निर्वाचक नामावली वर्ष 2008 में अंकित है प्रकरण संदिग्ध प्रतीत होता है । निर्णय :– ग्राम विजपुर की मतदाता सूची में श्रीमती संध्या मिश्रा पत्नि जयप्रकाश मिश्रा का नाम है व विजपुर राजस्व ग्राम है । अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति मान्य योग्य नहीं है । किया गया चयन बैध है ।
5	खूजा	शकुंतला/महेन्द्र	सहायिका	कक्षा–5 की अंकसूची लगाने वावत ।	समिति निर्णय अनुसार आवेदन प्राप्ति अंतिम तिथि के पश्चात अंकसूची संलग्न नहीं की जा सकेगी । आवेदिका को न्यनतम अंक दिये गये हैं ।